

## राज्यों की कार्यकारिणी

### राज्यपाल

एक राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति की मर्ज़ी से कार्यालय रखता है.

### राज्यपाल पद के लिए योग्यताएँ हैं:

- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए।
- अन्य लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए और संघ या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए.

### राज्यपाल की नियुक्ति


- किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार की जाती है।
- यदि किसी विधानमंडल के सदस्य को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो वह इस तरह की नियुक्ति पर तुरंत सदस्य बनना बंद कर देता है।
- एक राज्यपाल के पद का सामान्य कार्यकाल पांच साल का होता है, लेकिन इसे राष्ट्रपति द्वारा पहले खारिज किया जा सकता है (सन्दर्भ.: अनुच्छेद. 156 (1)); इस्तीफा (अनुच्छेद. 156(2)).
- एक व्यक्ति को एक से अधिक बार राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर कोई रोक नहीं है.

### राज्यपाल की नियुक्ति क्यों

- क्योंकि यह देश को अभी भी एक और चुनाव के बुरे परिणामों से बचाएगा, व्यक्तिगत मुद्दों पर चलाएगा।
- यदि राज्यपाल को प्रत्यक्ष वोट द्वारा चुना जाता है, तो वह खुद को मुख्यमंत्री से बेहतर मान सकता है, जिससे दोनों के बीच घर्षण पैदा होगा।
- इसमें शामिल खर्च और चुनाव की विस्तृत मशीनरी राज्यपाल की शक्तियों से मेल नहीं खाएगी।
- पार्टी के एक दूसरे व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में चुना जा सकता है।
- एक नियुक्त राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों पर अपना नियंत्रण बनाए रख सकती है।
- चुनाव की विधि अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित कर सकती है.

### राज्यपाल की शक्तियाँ

राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह कोई राजनयिक या सैन्य शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन उनके पास राष्ट्रपति की कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ हैं।



### कार्यपालिका शक्ति:

- राज्यपाल के पास मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति है।
- राज्यपाल की खुशी के दौरान मंत्रियों के साथ-साथ महाधिवक्ता भी कार्यालय में रहते हैं, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को केवल सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट और कुछ मामलों में कुछ अयोग्यताओं के होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है (सन्दर्भ.: अनुच्छेद. 317).
- राज्यपाल के पास राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की कोई शक्ति नहीं है लेकिन वह इस मामले में राष्ट्रपति द्वारा परामर्श दिए जाने के हकदार हैं (सन्दर्भ.: अनुच्छेद. 217(1)).
- राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को अपने राज्य के विधान सभा में एंग्लो - भारतीय समुदाय के सदस्यों को नामित करने की शक्ति है।
- विधान परिषद में, राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं { सन्दर्भ.: अनुच्छेद. 171(5)}.
- राज्य सभा के लिए सहकारी आंदोलन को संबंधित सूची में शामिल नहीं किया गया है।

### वैधानिक शक्ति:

- राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक हिस्सा है और उसे संदेश भेजने और भेजने और राज्य विधानसभा को छीनने और विघटित करने का आह्वान करने का अधिकार है।
- संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए किसी भी विधेयक का उल्लेख कर सकता है।

### न्यायिक शक्ति:

- राज्यपाल को क्षमा, दण्ड, राहत, या दण्ड आदि का दंड देने की शक्ति है (सन्दर्भ.: अनुच्छेद. 161).

### आपातकालीन शक्ति:

- बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का मुकाबला करने के लिए राज्यपाल के पास कोई आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं।
- उसके पास राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने की शक्ति है यदि राज्य सरकार को संविधान के अनुसार नहीं किया जा सकता है (सन्दर्भ.: अनुच्छेद. 356).

### राज्यपाल के विवेकाधीन कार्य

- असम के राज्यपाल असम राज्य द्वारा जिला परिषद को देय राशि निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि खनिजों के लिए लाइसेंस से प्राप्त रॉयल्टी।
- जहां एक राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया जाता है, वह अपने मंत्रिपरिषद के स्वतंत्र रूप से ऐसे प्रशासक के रूप में कार्य कर सकता है।
- राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि महाराष्ट्र या गुजरात के राज्यपाल पर विदर्भ और सौराष्ट्र के विकास के लिए कदम उठाने की विशेष जिम्मेदारी होगी।
- नागालैंड के राज्यपाल की उस राज्य में कानून और व्यवस्था के संबंध में समान विशेष जिम्मेदारी है।

TEST SERIES  
Bilingual



**CTET  
PREMIUM**

90 TESTS | eBooks

- मणिपुर के राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी है कि वे उस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों से संबंधित विधान सभा की समिति के समुचित कार्य को सुरक्षित रखें।
- सिक्किम के राज्यपाल के पास सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए शांति और न्यायसंगत व्यवस्था की विशेष जिम्मेदारी है।
- राज्यपाल के पास किसी भी समय एक व्यक्तिगत मंत्री को बर्खास्त करने की शक्ति है।
- राज्यपाल मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, केवल तभी जब मंत्रिपरिषद ने विधान सभा का विश्वास खो दिया हो और राज्यपाल विधानसभा भंग करने के लिए उचित न समझे।

<p>TEST SERIES Bilingual</p> <p><b>MPTET PRT 2020</b></p> <p>10 TOTAL TESTS</p>	<p>12 Months Subscription</p> <p><b>eBOOK PLUS TEACHING</b></p>	<p>TEST SERIES Bilingual</p> <p><b>KVS PRT</b> 30 TOTAL TESTS</p> <p>Validity : 12 Months</p>
---	---	---

